

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रो./आवंटन-व्यय/उ.मै./25210/16-17/

दिनांक :- 22/09/2016

1 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)


विषय :- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु वर्ष 2016-17 में राज्य आयोजना मद में बजट आवंटन।

प्रसंग:- आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के समसंख्यक पत्र क्रमांक 54971-74 दिनांक 30.08.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु वर्ष 2016-17 में राज्य आयोजना मद में संलग्न अंकितानुसार बजट आवंटन कर भिजवाया जा रहा है। भुगतान हेतु उक्त उल्लेखित वित्तीय वर्ष से पूर्व के वर्षों की बकाया छात्रवृत्ति इस आबंटित बजट में से स्वीकृत नहीं की जावे। छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय निम्नलिखित निर्देशों को पालना सुनिश्चित करें :-

1. वार्षिक आय के प्रमाणीकरण के लिए वर्ष 2013-14 से सा.न्या.अ.वि.के पत्र क्रमांक एफ9(4)/छात्र/आवेदन/सान्याअवि/2011/63202-493 दिनांक 21.08.2013 द्वारा जारी एक पृष्ठिय आय का उद्धोषणा/शपथ पत्र के साथ साथ पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.13(34)राज/पुप-1 /2012 दि. 09.08.12 द्वारा जारी आय उद्धोषणा/शपथ पत्र भी मान्य होगा। आवेदक के माता पिता/संरक्षक राज्य/केन्द्र सरकार की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र व गत वर्ष के फार्म नं.16 मान्य होगा।
2. सभी पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित छात्र-छात्राओं के बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाईन किया जावे।
3. वर्ष 2015-16 के आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु जारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दिशा निर्देशों के आदेश क्रमांक एफ 9(4)(116)उमैछात्र/पेपरलेस/दिशानिर्देश/सान्याअवि/2015-16/60901 दिनांक 09.10.2015 एवं 66099-132 दिनांक 03.11.2015 की पालना सुनिश्चित की जावे। साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ 9(4)(104)/छात्रवृत्ति./भौ.स./सान्याअवि/2015-16/12729-62 दिनांक 25.02.2016 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।
4. छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी उ.मै.छात्रवृत्ति नियमों के परिपेक्ष्य में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता यथा निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन, आय, जाती अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं लिये जाने, दौहरा भुगतान नहीं होने आदि की जांच कर सन्तुष्टि उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। अनियमित/गलत स्वीकृति जारी किये जाने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
5. बजट आवंटन की सीमा में ही व्यय किया जावे।
6. आधिक्य/बचत की स्थिति में सूचना दिनांक 30.09.2016 तक भिजवाये अन्यथा आबंटित बजट को पूर्ण व्यय मान लिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदार आप स्वयं की होगी।।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :- 22/09/2016

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रो./आवंटन-व्यय/उ.मै./25210/16-17/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रभावी मोनटरिंग सुनिश्चित की जावे।
- 4 सिस्टम अनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित पत्रावली


वित्तीय सलाहकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

अनुसूचित जाति उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति का बजट आवंटन वर्ष 2016-17 दि 22/9/2016

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	बजट मद मांग संख्या 51 2225-अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संगटक (01)-छात्रवृत्ति और वजीफा, 00- 13 छात्रवृत्तियां एवं वजीफा (आयोजना व्यय)
1.	3735	बीकानेर	6611114
2.	4492	चूरु	15854280
3.	5349	झुंझुनू	16546975
4.	3282	हनुमानगढ़	14828071
5.	2735	श्रीगंगानगर	12067910
6.	13122	जोधपुर-1	8444801
7.	31714	जोधपुर-2	1154867
8.	15571	पाली	12976157
9.	14459	जालौर	10819844
10.	14800	सिरोही	6959207
11.	13976	वाडमेर	8289867
12.	13291	जैसलमेर	1846446
13.	10196	जयपुर-1	24176170
14.	10198	जयपुर-2	16614366
15.	6452	अलवर-1	14966600
16.	6454	अलवर-2	12560570
17.	11216	सीकर-1	10398789
18.	11219	सीकर-2	5996848
19.	8914	दौसा	25965632
20.	16289	अजमेर-1	8956994
21.	16290	अजमेर-2	6722302
22.	17971	भीलवाड़ा-1	8258880
23.	17972	भीलवाड़ा-2	6337702
24.	16781	टोंक	7103257
25.	12261	नागौर-1	6788934
26.	12262	नागौर-2	6046062
27.	20688	उदयपुर-1	2132618
28.	20689	उदयपुर-2	2351348
29.	18401	राजसमंद	5034436
30.	21402	चित्तौड़गढ़	10951082
31.	22191	प्रतापगढ़	2652101
32.	21127	बासवाड़ा	3868876
33.	20897	डूंगरपुर	3871521
34.	21597	कोटा	10232919
35.	21800	बारां	12484015
36.	17137	बूंदी	8277108
37.	22087	झालावाड़	11147939
38.	7236	भरतपुर-1	7682891
39.	7239	भरतपुर-2	5238584
40.	7576	धौलपुर	16823197
41.	8468	सवाईमाधोपुर	22516385
42.	8055	करौली	9538451
योग :-			415396000

(अखरें रूपये इक्कतालीस करोड तिरपन लाख छियानवे हजार मात्र)

22/9/16
वित्तीय सलाहकार